

चौमूं में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने स्कूटी सवार पिता-पुत्र को कुचला, दोनों की मौत

हादसे में स्कूटी सवार सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक और वकील बेटे की मौत हो गई

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। जयपुर ग्रामीण के गोविंदगढ़ थाना इलाके में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक और उनके वकील बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 9 वर्षीय पोता घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

गोविंदगढ़ थानाधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि मृतकों की पहचान चौमूं कटबे के वार्ड नंबर एक निवासी सत्यनारायण सैनी (68) और उनके पुत्र विजेंद्र सैनी (45) के रूप में हुई है। विजेंद्र पेशे से वकील थे। मंगलवार दोपहर करीब दो बजे विजेंद्र अपने पिता सत्यनारायण और बेटे मनवीर (9)



हादसे के बाद पुलिस ने थार गाड़ी को जब्त किया।

के साथ स्कूटी पर सवार होकर चौमूं से श्रीमाधोपुर जा रहे थे। विजेंद्र के ससुराल में जलवा पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए तीनों घर से निकले थे। हादसा भदाला कट के पास हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक थार गाड़ी गलत दिशा (रॉन्ग साइड) से तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसने स्कूटी को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क

पर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पिता-पुत्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि बच्चे की जान बाल-बाल बच गई। हादसे के बाद

गोविंदगढ़ थाना

इलाके में गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार थार गाड़ी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी थी

थार सवार लोग गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त थार को जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें रवाना की है। पुलिस ने शकों को मोचरी में रखवाया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। विजेंद्र चार भाइयों में से एक थे और उनके पीछे एक बेटा व एक बेटी है। इस हृदय विदारक घटना के बाद चौमूं के वार्ड नंबर एक में शोक की लहर दौड़ गई है।

मानवाधिकार आयोग के नाम पर फर्जी टीम बनाकर क्रशरों संचालकों से वसूली

पाटन, (निसं)। स्थानीय पुलिस थाना क्षेत्र में मानवाधिकार आयोग के नाम का दुरुपयोग कर क्रशर संचालकों को धमकाकर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। कार पर पुलिस का लोगो और राजस्थान स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर की प्लेट लगाकर पहुंचे चार आरोपियों ने जांच के नाम पर क्रशर बंद करवाने की धमकी दी और हजारों रुपए पेंड लिए। माइनिंग एसोसिएशन की सतर्कता से चारों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।काशतपुरा निवासी लीलाधर सैनी ने पाटन थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह भागेपक्व (डोकन) के पास स्थित स्टार स्टोन क्रशर पर मुनीम है। 16 मार्च को शाम करीब साढ़े चार बजे एक ऑल्टो कार में सवार चार व्यक्ति

- कार पर पुलिस का लोगो और राजस्थान स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर की प्लेट लगाकर पहुंचे थे चार आरोपी**
- माइनिंग एसोसिएशन की सतर्कता से चारों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया**

क्रशर पर पहुंचे। कार पर पुलिस का लोगो और राजस्थान स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर की प्लेट लगी हुई थी। आरोपियों ने खुद को मानवाधिकार संगठन से जुड़ा बताते हुए खनन संबंधी दस्तावेजों की जांच का नाटक किया और क्रशर बंद करवाने की धमकी देकर पैसे मांगने लगे। डर के चलते मोलभाव के बाद मुनीम से चार हजार रुपए ले लिए। बाद में जांच करने पर पता चला कि आरोपियों का मानवाधिकार आयोग से कोई संबंध नहीं है और वे फर्जी तरीके

से वसूली कर रहे थे। आरोपियों ने अपने नाम भैलराम गुर्जर, रमेशचंद रैगर, रोहिताश रैगर और तुलसीराम गुर्जर बताए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, जिसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। साथ ही नथुवाला स्थित एक अन्य क्रशर से भी दस हजार रुपए वसूली की बात सामने आई है।

इधर, माइनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरमल सैनी, महेंद्र गोयल और सचिव शंकर सैनी ने बताया कि आरोपी का मानवाधिकार आयोग से कोई संबंध नहीं है और वे फर्जी तरीके

बयाना में लैपर्ड का आतंक, लोगों में दहशत

बयाना/भरतपुर, (निसं)। बयाना-करीली बॉर्डर (डांग क्षेत्र) में एक बार फिर लेपर्ड (तेंदुआ) की दहशत देखने को मिली है। बयाना-करीली बॉर्डर से सटे डांग इलाके में सोमवार देर रात करीब 12 बजे एक लैपर्ड ने रिहायशी क्षेत्र में घुसकर गाय का शिकार कर लिया। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल बन गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लैपर्ड ने गाय पर हमला करने के बाद उसे मार डाला और करीब कुछ मिनटों तक वहीं बैठा रहा। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, गाड़ियों की लाइटें जलाई, लेकिन लेपर्ड बिना डरे मौके पर डटा रहा। इससे लोगों में और ज्यादा दहशत फैल गई। गांव के कुछ युवकों ने मौके पर मौजूद रहकर लेपर्ड के शिकार का वीडियो भी बना लिया, जो अब इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लेपर्ड का बेखौफ अंदाज साफ देखा जा सकता है। दूसरे इलाके में भी हमला इसी तरह की एक और घटना

जयपुर/झुंझुनूं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की झुंझुनूं टीम ने मंगलवार को कार्यवाही करते हुए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के स्टैनोग्राफर रज कुमार को ढाई हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एक परिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जिला उद्योग विभाग में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (पीएमईजीपी) योजना के तहत 5 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। इस ऋण को अप्रूप करने के बदले विभाग का स्टैनोग्राफर नीरज कुमार उसे ढाई हजार रुपये की रिश्वत के लिए परेशान कर रहा था। एसीबी जयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के निर्देश पर शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। मंगलवार को एसीबी टीम ने आरोपी नीरज कुमार ने परिवारी से ढाई हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने उसे दबोच लिया।

जोधपुर, (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चित्तौड़गढ़ स्पेशल जज के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने आदेश पास करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि आरोपी को मूल डिजिटल रिकॉर्डिंग की हेश वैल्यू सहित क्लोन कॉपी उपलब्ध कराई जाए।

जानकारी के अनुसार जयपुर के 20 रघुविहार, महाराणी फार्म निवासी किशन अग्रवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) चित्तौड़गढ़ पुलिस स्टेशन से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। चित्तौड़गढ़ की विशेष न्यायालय (स्पेशल जज, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कोर्ट) में केस नंबर चल रहा है।इस मामले में आरोपी याचिकाकर्ता किशन अग्रवाल ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दो आवेदन दिए थे। पहले आवेदन में रिश्वत की कथित मांग की मूल रिकॉर्डिंग की क्लोन कॉपी और हेश वैल्यू मांगी गई

राजस्थान हाईकोर्ट : डिज़िटल सबूत की क्लोन कॉपी आरोपी का अधिकार

- जांच में सामने आया कि अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग इस हत्या की मुख्य वजह बनी**

संबंधों को लेकर लगातार ब्लैकमेलिंग हो रही थी। इसी से परेशान होकर आरोपियों ने मिलकर गणपतसिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रची और सुनसान जगह पर ले जाकर सिर पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। वहीं जालौर में पिछले उन्नीस दिन से मृतक की अस्सी वर्षीय मां व उनके पुत्र भूख हड़ताल पर थे। मंगलवार को पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करने पर रानीबाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रविन्द्र सिंह बालावत, समाजसेवी रामसिंह चारनीम, दिलीपसिंह, करण सिंह, दीपसिंह धनानी ने गणपतसिंह की माताजी व पुत्र को ज्यूस पीलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया।

बदमाशों ने टोंक के पलाई टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की

- अचानक हुए इस हमले से टोलकर्मों खबर गए और भाग कर जान बचाई**

गई और उनमें से युवक लाठियों लेकर बाहर निकले, उन्होंने बिना किसी कारण टोल बृथ पर हमला शुरू कर दिया और करीब 10 से 15 मिनट तक जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान टोल काउंटरों के शीशे टूट गए और अंदर रखा सामान बिखर गया।

अचानक हुए इस हमले से टोल प्लाजा के कर्मचारी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलने पर राजकुमार चौधरी मौके पर पहुंचे तो बृथ क्षतिग्रस्त हालत में मिले। तोड़फोड़ के बाद कर्मचारी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग गए। टोल प्लाजा की घटना में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाद में रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़कर उन पर कार्यवाही की मांग की है।

सड़क हादसे में एक की मौत : लालसोट थाना क्षेत्र के देवली गांव में सड़क पर लापरवाही से खड़ी ट्रैक्टर-

चारागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध खनन से ग्रामीण परेशान

ब्लास्टिंग के दौरान बड़े-बड़े पत्थर खेतों में आकर गिरने से किसानों व ग्रामीणों में भय

मसूदा, (निसं)। मसूदा उपखंड के ग्राम लूलवा के दांती का बाड़िया में चरागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध खनन से आसपास के काशतकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

खनन के दौरान खेतों में आने वाले पत्थरों के कारण काशतकार खेती नहीं कर पा रहे हैं और काशत की जमीन भी धीरे-धीरे बेकार हो रही है। अवैध खननकर्ता को बार-बार समझाने के बाद भी वह अवैध खनन से बाज नहीं आ रहा है। उल्टा काशतकारों को धमकियां देते हुए उन्हें परेशान किया जा रहा है। अवैध खनन तथा खननकर्ता की धमकियों से

परेशान ग्रामीण मंगलवार को जिला कलैक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कलैक्टर को एक ज्ञापन देकर अवैध खनन को रूकवाने तथा खननकर्ता को इस हेतु पाबंद करने की मांग की। जिला कलैक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम लूलवा के दांती के बाड़िया में मवेशियों के चरने के लिए चरागाह भूमि पर कैलाशचंद पुत्र देवा द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन के दौरान किए जाने वाले ब्लास्टिंग के दौरान बड़े-बड़े पत्थर खेतों में आकर गिरते हैं, जिसके कारण खेती का काम करने वाले किसानों को

भय सताता रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खननकर्ता को इस बाबत मना करने पर उल्टा काशतकारों को पुलिस में फंसाने की धमकियां देता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से शीघ्र ही इस और ध्यान देकर अवैध खनन को बंद करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण कुमार, विशाल, भागचंद, सीता देवी तथा प्रकाश आदि शामिल रहे।

इस दौरान मौके पर उपस्थित डिप्टी राजेश कसाना तथा तहसीलदार हनुतसिंह ने ग्रामीणों से बातचीत कर शीघ्र ही उनकी समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट : डिज़िटल सबूत की क्लोन कॉपी आरोपी का अधिकार

- ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द, भ्रष्टाचार मामले में मिलेगी मूल रिकॉर्डिंग की क्लोन कॉपी**
- राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के एक मामले में फैसला सुनाते हुए चित्तौड़गढ़ स्पेशल जज के आदेश को रद्द किया**

था। दूसरे आवेदन में जब राशि की फर्द, घटना की फोटो, वीडियोग्राफी और पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग मांगी गई थी। चित्तौड़गढ़ स्पेशल जज ने 1 सितंबर 2025 को दोनों आवेदन खारिज कर दिए। जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में पिटिशन दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि अभियोग पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) के मुताबिक रिश्मत की मांग की तीन अलग-अलग बातचीत डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन न तो कोई डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और न ही कोई मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस की क्लोन कॉपी चार्जशीट के

साथ दाखिल की गई। वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को जो सीडी और ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, वह मनमाना तरीके से बनाया गया है और मूल रिकॉर्डिंग से मेल नहीं खाता। वकील ने यह भी तर्क दिया कि हेश वैल्यू सहित मूल मीडिया डिवाइस की क्लोन कॉपी मिलने से ही आरोपी रिकॉर्ड की प्रामाणिकता जांच सकता है और प्रभावी बचाव कर सकता है। कोर्ट ने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सामने आने और आरोपी के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तथा इस हाईकोर्ट के कोऑर्डिनेट बेंच के स्पष्ट निर्णय उपलब्ध हैं। संदर्भ फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेमोरी कार्ड/फ्लैशड्राइव की सामग्री

पावटा में कंटेनर से टकराई रोडवेज बस, पांच यात्री घायल

जयपुर से उत्तराखंड के रामपुर जा रही थी

राजस्थान रोडवेज की बस

पावटा, (निसं)। जयपुर से उत्तराखंड के रामपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर ग्राम लाडाकाबास के चजदीक एक कंटेनर के साइड दबाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में करीब चार दर्जन यात्री सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, हालांकि 5 यात्री रोहिताश पुत्र दाताराम निवासी बर्डोद, भवानी पुत्र महेश चन्द निवासी रामपुर, निकिता पुत्री मदन निवासी भूरी भडाज, गगन थापा निवासी चण्डीगढ़, सनम निवासी चण्डीगढ़, अंजु निवासी बानसूर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए उपजिला अस्पताल पावटा लाया गया। वहीं उपजिला अस्पताल पावटा प्रभारी डॉ. रवि बंसल व उनकी टीम द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चलते कंटेनर ने बस को परिचालक साइड से दबा दिया, जिससे बस असेंजित हो गई और सड़क किनारे रुक गई। बस



हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

परिचालक की साइड से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कंटेनर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी सुन गई और यात्रियों में चीख-पुकार मचाई दी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्राणपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक

उपचार के बाद सभी घायलों को छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुचारु करवाया। बस में सवार अन्य यात्रियों को सुरक्षित दूसरे वाहन से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

जालोर, (कासं)। जालोर जिले के चर्चित गणपतसिंह माण्डोली हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने मंगलवार को पर्दाफाश कर दिया। करीब 18 महीने तक उलझी रही इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का पर्दाफाश होने के बाद पिछले उन्नीस दिन से जारी भूख हड़ताल को रानीबाड़ा पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने स्व. गणपतसिंह की माता को ज्यूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया।

जांच में सामने आया कि अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग इस हत्या की मुख्य वजह बनी। कल्याणसिंह पुत्र रणसिंह निवासी माण्डोली पुलिस थाना रामसीन ने एक लिखित रिपोर्ट दी। बताया कि मेरा भाई गणपतसिंह 27 अगस्त 2024 को रात्रि में अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपनी दुकान से कहीं पर चला गया था, जो पुनः नहीं आने पर हमारे द्वारा उसकी खोजबीन की गई, लेकिन गणपतसिंह नहीं मिलने पर 28 अगस्त 2024 को सरहद माण्डोली में कोलाया नाडा जाने वाले ग्रेवल सड़क पर उनकी मोटरसाइकिल



जालोर में गणपतसिंह हत्याकांड का पर्दाफाश होने पर रानीबाड़ा विधायक नारायणसिंह देवल ने भूख हड़ताल पर बैठी मृतक की अस्सी वर्षीय माताजी को ज्यूस पीलाकर धरना समाप्त करवाया।

सहित लाश मिली। जिसके सिर में गम्भीर चोट मार कर हत्या की गई है। इस पर रिपोर्ट रामसीन पुलिस थाना में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रकरण की गंभीरता एवं घटना का काफी समय से खुलासा नहीं होने से प्रकरण की जांच भुपेंद्रसिंह आरपीएस अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान निस्तारण दल जालोर के जिम्मे की जाकर उनके नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना की जांच करते हुये संदिग्धों पर निगरानी रखकर मोबाइल नंबरो की कॉल डिटेल का पुनः विश्लेषण किया जाकर प्रकरण में

गजेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह, वागाराम पुत्र कानाराम भील एवं लच्छू देवी पत्नी सवाराम चौधरी सभी निवासी माण्डोली थाना रामसीन को दस्तयाव कर घटना कारित करना स्वीकार करने पर प्रकरण में गिरफ्तार किये गये हैं।

जांच में सामने आया कि अवैध